निर्धारित कार्य प्रणाली

मैनुअल स्केवेंजरों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण

नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन

(एनएसकेएफडीसी)

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

ई मेल : mssurvey-nskfdc@nic.in वेबसाइट : www.nskfdc.nic.in

संपर्क : 011-29225130, 29221331, 29216330

मोबाइल : 9811478700 (श्री आर के गुप्ता, उप प्रबन्धक),

8800372829 (श्री एस के श्रीवास्तव, परामर्शदाता)

मैनुअल स्केवेंजरों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण

निर्धारित कार्य प्रणाली

1. पृश्ठभूमि

1.1 आवास एवं शहरी मामलों तथा पेय जल तथा स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान एवं अन्य कार्यक्रमों के तहत अस्वच्छ शौचालयों की पहचान की एवं इन्हें नश्ट करने/हटाने या संबध योजाओं के तहत इनके परिवर्तन हेतु स्वीकार्य सहायता प्रदान करने के लिए कमद उठाए। यद्यपि पहचान किए गए मैनुअल स्केवेंजरों की संख्या स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नश्ट किए गए/परिवर्तित किए गए अस्वच्छ शौचालयों की संख्या से मल नहीं खाती है और मैनुअल स्केवेंजिंग के उन्मूलन के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन समय–समय पर यह बात उठाते रहे हैं कि जिन मैनुअल स्केवेंजरों ने 2013 से मैनुअल स्केवेंजिंग छोड दी ह, की पहचान नहीं हुई है एवं उन्हें वैकल्पिक व्यवसाय में पुर्नवास हेतु सहायता प्रदान नहीं की गई है।

1.2 सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय ने नीति आयोग के साथ परामर्श से राज्यों में नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसकेएफडीसी) के माध्यम से मैनुअल स्केवेंजरों का सर्वेक्षण कराने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया है।

1.3 सर्वेक्षण का उददे्श्य उन व्यक्तियों की पहचान करना है जो एमएस अधिनियम 2013, जो 6 दिसम्बर 2013 को प्रभावी हुआ, के बाद किसी भी समय मैनुअल स्केवेंजिंग में लगे हुए थे। आगे, सर्वेक्षण यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी वास्तिविक मैनुअल स्केवेंजर, विशेशतः वो जिन्होंने मैनुअल स्केवेंजिंग छोड दी है की पहचान हो सके एवं साथ ही साथ अवास्तिविक मैनुअल स्केवेंजर के जुडने की संभावना यदि समाप्त न हो तो, कम से कम हो।

1.4 एमएस अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2(1)(जी) के अनुसार मैनुअल स्केवेंजर इस प्रकार परिभाशित हैः –

'मैनुअल स्केवेंजर' से अभिप्राय किसी व्यक्ति अथवा स्थानीय अधिकारी अथवा अभिकरण अथवा ठेकेदार द्वारा किसी अस्वच्छ शौचालय में अथवा किसी खुले नाले एवं गडडे में जिसमें अस्वच्छ शौचालय से मानव मल निस्तारित किया जाता है अथवा रेलवे ट्रैक पर अथवा ऐसे स्थानों या परिसरों में (जैसे कि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है) मानव मल उसके निर्धारित ढंग में अपघटित होने से पहले मानवीय रूप से सफाई, वहन, निस्तारण अथवा अन्य किसी प्रकार से संचालन के लिए अनुबन्धित अथवा नियुक्त व्यक्ति और मैनुअल स्केवेंजर की अभिव्यक्ति तदनुसार समझी जाएगी।

1.5 प्रथम चरण में, प्रस्तावित सर्वेक्षण 18 राज्यों के चयनित 164 जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। इस चरण में सर्वेक्षण उनको कवर करेगा जो 2013 या इसके बाद निम्नलिखित गतिविधियों में लगे हुए हैं/थेः –

(क) शुश्क शौचालयों की सफाई करना

(ख) खुले नालों की सफाई करना जिसमें मानव मल अस्वच्छ शौचालयों से बहाया जाता है।

(ग) एकल पिट शौचालयों की सफाई

1.6 नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसकेएफडीसी) जिला समन्वयकों को नियुक्त करेगा जोकि विशेशतः सफाई कर्मचारी आंदोलन एवं राश्ट्रीय गरिमा अभियान, जोकि स्वच्छता कर्मचारियों के उत्थान के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन हैं एवं टास्क फोर्स के भी सदस्य हैं, के कामगार होंगे। जिला समन्वयकों को एक जिले या अधिक जिलों में सर्वेक्षण का कार्य दिया जा सकता है।

1.7 मैनुअल स्केवेंजरों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेवार प्रत्येक राज्य के संबधित विभाग, राज्य नोडल सर्वेक्षण अधिकारी को नामित करेंगे जोकि राज्य के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण के लिए समन्वय करेंगे। वे जिला आयुक्तों द्वारा जिला नोडल अधिकारी की समय पर नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होंगे। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला स्तर के नोडल अधिकारी सर्वेक्षण में भाग लेंगें। वे/उनके प्रतिनिधि सर्वेक्षण शिविर में भाग लेंगे एवं सर्वेक्षण फार्म एवं अन्य रिपोर्ट भेजेंगे।

2. सर्वेक्षण एवं पहचान शिविरों का आयोजन

2.1 जिला स्तर पर सर्वेक्षण के लिए जिला नोडल अधिकारी होंगे जोकि शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रत्येक जिले में एनएसकेएफडीसी का एक प्राधिकृत प्रतिनिधि होगा जो जिला समन्वयक का कार्य करेगा।

2.2 जिला समन्वयक एवं जिला नोडल अधिकारी जिले में नगरपालिकाओं तथा ब्लाकों की सूची तैयार करेंगे एवं सर्वेक्षण की योजना बनाएंगे।

2.3 जिला समन्वयक, जिला नोडल अधिकारी के समन्वय से जिले के भूगोल के अनुसार सवेक्षण एवं पहचान शिविरों के लिए स्थान की पहचान करेंगे ताकि पूरे जिले से संभावित मैनुअल स्केवेंजर कवर किए जा सकें। प्रत्येक जिले में, आवशयक्ता अनुसार, 3–4 शिविर आयोजित हो सकते हैं जो कि दो दिन तक चल सकते हैं। स्थानीय स्कूल, बारातधर, ब्लाक कार्यालय इत्यादि शिविर के लिए पहली पसंद होने चाहिए।

2.4 जब जिले में सर्वेक्षण एवं पहचान शिविरों के लिए स्थान का चयन हो जाए तो जिला समन्वयक एवं जिला अधिकारियों द्वारा शिविरों के आयोजन की तिथियां निर्धारित की जा सकती हैं। दो स्थानों पर शिविरों के आयोजन के बीच कम से कम दो दिनों को अंतराल होना चाहिए ताकि संभावित मैनुअल स्केवेंजरों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ लाने के लिए 2 दिनों का समय उपलब्ध हो।

2.5 सर्वेक्षण एवं पहचान शिविरों के आयोजन के स्थान एवं तिथि के निर्धारण के उपरांत जिला नोडल अधिकारी अपने राज्य नोडल अधिकारी के द्वारा शिविरों के बारे में जानकारी एनएसकेएफडीसी को भेजेगा ताकि जिला नोडल अधिकारी को कैम्प आयोजित करने के लिए अग्रिम धनराशि जारी की जा सके। प्रचार का कार्य आरम्भ होना चाहिए। जिला नोडल अधिकारी स्थानीय भाशा में स्वीकृत प्रचार **सामग्री** (अनुलग्नक–1) के अनुसार इश्तेहारों का प्रकाशन करवाएगा। जिला नोडल अधिकारी शिवर की तिथियों की जानकारी एनएसकेएफडीसी को **देंगे और जिला प्रैस अधिकारी के माध्यम से प्रैस रिलीज जारी करेंगे । वे स्थानीय भाषा मे स्वीकृत भाषा** (अनुलग्नक–1) **के अनुसार स्थानीय समाचार पत्रों मे**

विज्ञापन जारी करेंगे । इसे यथा संभव बार–बार दोहराना चाहिए। प्रचार संभावित मैनुअल स्केवेंजरों की बस्ती में मुनादी के द्वारा भी होना चाहिए।

2.6 प्रत्येक जिला समन्वयक एक जिले में 10 मोबलाईजर/लाभार्थी जुटाने वाले व्यक्तियों तक की सहायता ले सकता है जोकि जिले में मैनुअल स्केवेंजर/सफाई कर्मचारी समुदाय के व्यक्ति होंगे। सामान्यतः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के जिला स्तर अधिकारियों के नीचे एवं सामाजिक/अनुसूचित जाति कल्याण कार्यालय में स्टाफ होता है। ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों का स्टाफ एवं समाज/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का स्टाफ जोकि जमीनी स्तर पर कार्य करता है संभावित मैनुअल स्केवेंजरों से संपर्क करेगा एवं उन्हें राश्टोय सर्वेक्षण के लिए जानकारी प्रदान करेगा। इसी प्रकार मोबलाईजर भी गांव गांव एवं संभावित मैनुअल स्केवेंजर के प्रत्येक क्षेत्र में जायेंगे एवं उन्हें जिलों में आयोजित होने वाले सर्वेक्षण एवं पहचान शिविरों के बारे में जानकारी देंगे एवं लोगों को संवेदनशील करेंगे। वे गर सरकारी संगठनों एवं जिला प्रशासन से ऐसे दस्तावेज जिसमें मैनुअल स्केवेंजर की सूची हो, लेंगे ताकि इन सूचियों में ऐसे लोग जिनकी मैनुअल स्केवेंजर के रूप में पहचान नहीं हुई है, को शिविर के बारे में जानकारी देंगे। वे समुदाय के सदस्यों को सर्वेक्षण एवं पहचान शिविरों के स्थान, तारीख एवं समय की जानकारी देंगे एवं उनसे अनुरोध करेंगे कि वे शिविर में निम्नलिखत दस्तावेजों के साथ आएँः–

(क) पासपोर्ट साईज एक फोटो

(ख) आधार कार्ड की फोटोकॉपी

(ग) बैंक पास बुक की फोटोकॉपी

(घ) ऐसा दस्तावेज जो उनके मैनुअल स्केवेंजर होने का दावा करता हो।

2.7 शिविर का आयोजन सामान्यतः प्रातः 10.00 बजे से सॉय 6.00 बजे तक या जिला प्राधि**कारी** द्वारा निर्णय के अनुसार होना चाहिए। जिला समन्वयक एवं जिला नोडल

अधिकारी या उसके प्रतिनिधि को शिविर के स्थान पर समय पर पहुॅच जाना चाहिए। शिविर स्थान पर जिला **नोडल अधिकारी** द्वारा निम्नलिखत प्रबन्ध किए जा सकते हैंः –

(क) दो टेबल, 10–25 कुर्सियॉ (अनुमानित आवशयकता अनुसार)

(ख) अनुमान के अनुसार पर्याप्त मात्रा में सर्वेक्षण फार्म

(ग) स्टेशनरी जैसे कि पेपर, कार्बन पेपर, पेन, स्टेप्लर, गोंद इत्यादि

जिला **नोडल अधिकारी / समन्वयक** को सर्वेक्षण फार्म **(अनुलग्नक–2)** उपलब्ध कराया जाएगा। **जिला नोडल अधिकारी सर्वे फार्म की अपेक्षित संख्या मे प्रतियाँ करायगा** । बची हुए स्टेशनरी एवं सर्वेक्षण फार्म को शिविर के अगले दिन एवं जिले में अन्य स्थानों पर हाने वाले आगमी शिविर में उपयोग किया जाना चाहिए। जिले में सर्वेक्षण पूरा होने के उपरांत बचे हुए फार्म को सुरक्षित रखना चाहिए एवं एनएसकेएफडीसी के प्रतिनिधि को लौटाना चाहिए, या जैसा निर्देश हो।

3. मैनुअल स्केवेंजरों का पंजीकरण

3.1 जिले में मैनुअल स्केवेंजरों के सर्वेक्षण के बारे में प्रचार होने के आधार पर निर्धारित स्थान एवं तिथि को सर्वेक्षण एवं पहचान शिविर का आयोजन होगा। प्रार्थी उन्हें प्रदान की गई जानकारी के आधार पर शिविर में भाग लेंगे फिरभी जिला समन्वयक के मोबलाईजर एव शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों तथा जिला समाज/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के स्टाफ शिविर के दिन व्यक्तिगत तौर पर या फोन इत्यादि के माध्यम से संपर्क करेंगे ताकि प्रार्थी शिविर में पंजीकरण के लिए आ सकें।

3.2 जिला समन्वयक एवं नोडल अधिकारी या उसका प्रतिनिधि मैनुअल स्केवेंजर के लिए पंजीकरण हेतु शिविर में आने वाले व्यक्तियों का आंकलन करेंगे कि क्या उन्हें मैनुअल स्केवेंजर के लिए पंजीकृत किया जाना है। इसमें उनके द्वारा लिखित प्रमाण प्रदान करना एवं उनके पडोस के जानकार एवं मुख्य व्यक्तियों द्वारा मौखिक जानकारी शामिल होगो। यदि टीम को संतुश्टि है कि यह मैनुअल स्केवेंजर के पंजीकरण का उपयुक्त मामला है तो वे उनके लिए सर्वेक्षण का फार्म भरेंगे एवं उनसे आवश्यक दस्तावेज लेंगे।

3.3 सर्वेक्षण फार्म (अनुलग्नक–2) भरने के लिए निम्नलिखत का अनुसरण किया जाना चाहिएः –

- प्रार्थी मैनुअल स्केवेंजर से नवीन फोटोग्राफ लेकर फार्म में दिए गए स्थान में गोंद से चिपकाया जाएगा।
- मूल/असली बैंक पास बुक एवं आधार कार्ड को देखकर इसकी साफ प्रति को एकत्र करना।
- राज्य एवं जिला का नाम भरना
- प्रार्थी से पता लगाना कि वह ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में रहता है।
- यदि प्रार्थी शहरी क्षेत्र से है तो नगरपालिका का नाम एवं वार्ड संख्या और यदि प्राथी ग्रामीण क्षेत्र से है तो तहसील, ब्लाक एवं गॉव का नाम लिखना।
- कॉलम 1 में प्राथी का नाम विशेशतः बैंक पास बुक के अनुसार लिखा जाना चाहिए।
- कॉलम 2 में, यदि महिला विवाहित है तो पति का नाम देना चाहिए।
- कॉलम 3 में पूरा पता लिखना चाहिए।
- संपर्क नम्बर, विशेशतः मोबाईल नंबर देना चाहिए।
- आधार की कॉपी के अनुसार आधार नम्बर सावधानी से लिखा जाना चाहिए।
- कॉलम 4 में बैंक पासबुक के अनुसार बैंक का पूरा विवरण सभी चार लाईनों में लिखना चाहिए।
- कॉलम 5 में परिवार की श्रेणी, उपयुक्त कोड लिखना चाहिए। ?
- कॉलम 6 में, यदि प्रार्थी अभी मैनुअल स्केवेंजिंग कर रहा है तो '1' लिखना चाहिए, यदि प्रार्थी 2013 में या इसके बाद मैनुअल स्केवेंजिंग में था, लेकिन अब नहीं है तो कोड '2' लिखना चाहिए।
- यदि कॉलम 6 का कोड 2 है (मैनुअल स्केवेंजर अब मैनुअल स्केवेंजिंग नहीं कर रहा है), कॉलम 7 में प्रार्थी का वर्तमान व्यवसाय एवं मासिक आय लिखनी चाहिए।
- कॉलम 8 में, फार्म में वर्णन अनुसार, प्रार्थी किस प्रकार की मैनुअल स्केवेंजिंग कर रहा है/था, का कोड लिखा जाएगा।

- कॉलम 9 में, यदि परिवार का कोई सदस्य पहले से ही मैनुअल स्केवेंजर चिन्हित है के जवाब में कृप्या कोड '1' या '2' दीजिए। यहॉ परिवार से अभिप्राय पति/पत्नी एवं उनके आश्रित बच्चे (विशेशतः जो अविवाहित हैं) से है।
- कॉलम 9 (क) में कृप्या परिवार के सदस्य का नाम लिखें जो पहले से ही मैनुअल स्केवेंजर चिन्हित है।
- कॉलम 9 (ख) में संबंध का कोड डालें (कोड फार्म –ख में दिए गए हैं)
- फार्म भरे जाने के उपरांत प्रार्थी मैनुअल स्केवेंजर अपना हस्ताक्षर करेगा/करेगी, नाम एवं तिथि इस पर लिखेगा/लिखेगी।
- मुख्य सर्वेक्षण फार्म भरे जाने के बाद जिला समन्वयक (एनएसकेएफडीसी के प्रतिनिधि) एवं जिला नोडल अधिकारी या उसका प्रतिनिध इसपर हस्ताक्षर करेंगे, नाम तथा पदनाम एवं तिथि लिखेंगे एवं पुश्टि करेंगे कि उन्होंने प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद एवं उनके मूल्यांकन के बाद प्रार्थी का नाम मैनुअल स्केवेंजर की सूची में जोडने की अनुसंशा की है।
- सर्वेक्षण टीम **फार्म–क** को भरने में भी सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि प्रार्थी इसे स्वयं भरने में असमर्थ हो सकता है। कृप्या सुनिश्चित करें कि प्रार्थी फार्म–क में भी अपने हस्ताक्षर करे।
- सर्वेक्षण टीम **फार्म–ख** में परिवार का विवरण भी भरेगी।
- फार्म–ख में पहले मैनुअल स्केवेंजर का नाम एवं उसक विवरण भरा जाएगा।
- मैनुअल स्केवेंजर के संबंध में कृप्या **'स्वयं'** भरें।
- परिवार के अन्य सदस्यों के लिए लिंग, विवाहिक स्थिति, एमएस से संबंध, शैक्षणिक/कौशल योग्यता एवं वर्तताान व्यवसाय हेतु कृप्या उपयुक्त कोड भरें।

फार्म विशेशतः हिंदी या अंग्रेजी में भरें। स्थानीय भाशा में भरे जाने पर इसका जिला नोडल अधिकारी द्वारा अनुवाद किया जाने की आवश्यक्ता होगी।

सर्वेक्षण प्रमाणों को ध्यान में रखेगा जिसमें निम्नखित शामिल हैं: –

(क) वर्तमान में मैनुअल स्केवेंजिंग के दृश्टांत एवं इसमें नियुक्त लोग।

(ख) मैनुअल स्केवेंजरों एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा स्व–घोषणाओं का सत्यापन।

(ग) किसी प्राधिकारण के पास सत्यापित मैनुअल स्केवेंजर का रिकार्ड

(घ) सामाजिक–आर्थिक जाति गणना के आंकडे (**ग्रामीण**) 2011

(ड) किसी भी हितधारक द्वारा किसी प्राधिक**री** को मैनुअल स्केवेंजिंग के बारे में दिए गए फोटो प्रमाण/ज्ञापन का सत्यापन।

(च) किसी प्राधिकरण/हितधारक के पास ऐसे दस्तावेज का सत्यापन जो यह सुझाव देता हो कि प्रार्थी द्वारा एमएस अधिनियम 2013 के 6 दिसंबर 2013 को आरम्भ होने के उपरांत मैनुअल स्केवेंजिग की जा रही है/थी।

(छ) मैनुअल स्केवेंजिंग के प्रचलन के बारे मे किसी प्रस्तुतीकरण का सत्यापन।

(ज) इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विश्वस्नीय संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई गई अस्वच्छ शौचालयों या मैनुअल स्केवेंजरों की सूची का सत्यापन।

(झ) कोई अन्य संबध स्त्रोत/तरीका जिससे मैनुअल स्केवेंजिंग के होने का पता चलता हो।

(ञ) किसी व्यक्ति द्वारा घोशणा या स्थानीय इकाई द्वारा इस बात की पुश्टि करना कि संबद्ध व्यक्ति एमएस अधिनियम, 2013 की अधिसूचना के समय या इसके बाद मैनुअल स्केवेंजिंग गतिविधियों में लगे हुए थे।

3.5 दो दिवसों के शिविर के अंत में इसके मिन्ट्स की दो प्रतियॉ अनुलग्नक–3 में दिए गए प्राफार्मा में तैयार किए जाएंगे तथा एनएसकेएफडीसी के प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन द्वारा हस्ताक्षर किए जाएॅगे। मिन्ट्स की एक प्रति भरे हुए सर्वेक्षण फार्मों के साथ जिला नोडल अधिकारी को प्रदान की जाएगी। मिन्ट्स की दूसरी प्रति जिला समन्वयक द्वारा रखी जाएगी। जिला समन्वयक शिविर के बारे में जानकारियों एनएसकेएफडीसी के पोर्टल पर भी अपलोड करेगा (लिंक : http://nskfdc.nic.in/content/home/ms-survey-2018)। जिला नोडल अधिकारी, जिला में सर्वेक्षण के उपरांत, स्वयं या उपयुक्त जिला स्तर के अधिकरी द्वारा सर्वेक्षण एवं पहचान शिविर के मिन्ट्स सर्वेक्षण फार्मों सहित एनएसकेएफडीसी, दिल्ली को

भेजेंगे। सर्वेक्षण फार्म को एनएसकेएफडीसी भिजवाने के पत्र का फार्मेट अनुलग्नक–4 पर दिया गया है।

3.6 सर्वेक्षण फार्मों को एक पत्र के माध्यम से जिला नोडल अधिकारी (इसकी एक प्रति एनएसकेएफडीसी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिल्ली ले जाई जाएगी) द्वारा एनएसकेएफडीसी को इसकी डिजीटाईजेशन एवं इसके उपरांत पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए भेजा जाएगा।

4. मैनुअल स्केवेंजरों के सर्वेक्षण में विशेश सावधानियॉ : –

4.1 सर्वेक्षण फार्म साफ एवं सावधानी से भरना चाहिए। किसी भी सूरत में कोई कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए।

4.2 यदि कोई व्यक्ति तय दिन पर सर्वेक्षण फार्म को भर नहीं पाता है तो उनका आवेदन आगमी शिविर, यदि हो, में भरा जाएगा।

4.3 यदि कोई व्यक्ति शारीरिक अक्षमता के कारण शिविर में भाग लेने में असमर्थ हो तो जिला समन्वयक उनके घर जाकर फार्म भरने का प्रबन्ध करेगा।

4.4 सर्वेक्षण एवं पहचान शिविर में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी भ्रश्टाचार/गलत कार्य में लिप्त नहीं होगा। किसी भी प्रकार के भ्रश्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी/दंडात्कम कार्यवाही की जाएगी।

4.5 एनएसकेएफडीसी द्वारा नियुक्त जिला समन्वयक एवं जिला नोडल अधिकारी के बीच अच्छा समन्वय एवं समझ होनी चाहिए ताकि सर्वेक्षण सुचारू रूप से हो सके।

4.6 सर्वेक्षण का मुख्य उददे्श्य उन व्यक्तियों की पहचान करना है जो सर्वेक्षणों में छूट गए हैं, चाहे वह अब मैनुअल स्केवेंजिंग में हैं या नही लेकिन वर्श 2013 या इसके बाद मैनुअल स्केवेंजिंग में लिप्त थे। अतः इन व्यक्तियों की पहचान का प्रत्येक प्रयास करना चाहिए। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति पहचान से छूट न जाए, इससे काई फर्क नहीं पडता कि कुछ अपात्र व्यक्ति सर्वेक्षण में सम्मिलित हो जाएॅ।